भारत

के

नियंत्रक - महालेखापरीक्षक

का

31 मार्च 2011 को समाप्त हुए वर्ष

का प्रतिवेदन

प्रतिवेदन संख्या - 1

(राज्य वित्त)

झारखण्ड सरकार

विषय सूची

	संदर्भ	
	कंडिका	पृष्ठ सं.
प्राक्कथन	-	iii
कार्यकारी सारांश	-	v
अध्याय - I : राज्य सरकार के वित्त		
प्रस्तावना	1.1	1
राज्य के संसाधन	1.2	4
राजस्व प्राप्तियाँ	1.3	6
संसाधनों का अनुप्रयोग	1.4	10
व्यय की गुणवत्ता	1.5	15
सरकारी व्यय और निवेश का वित्तीय विश्लेषण	1.6	19
परिसम्पत्तियाँ एवं दायित्व	1.7	24
ऋण धारणीयता	1.8	26
राजकोषीय असंतुलन	1.9	28
उपसंहार	1.10	31
अनुशंसाएँ	1.11	32
अध्याय – II वित्तीय प्रबंधन एवं बजटीय नियंत्रण		
प्रस्तावना	2.1	33
बजट प्रबंधन हेतु प्रक्रिया	2.2	33
विनियोग लेखे का सारांश	2.3	34
वित्तीय दायित्व एवं बजट प्रबंधन	2.4	34
विभागीय आँकड़ों का असमायोजन	2.5	40
बजटीय प्रक्रिया की समीक्षा	2.6	42
उपसंहार	2.7	43
अनुशंसाएँ	2.8	44
अध्याय – III वित्तीय प्रतिवेदन प्रस्तुत करना		
उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने में विलंब	3.1	45
लेखों का अप्रस्तुतीकरण/विलंबित प्रस्तुतीकरण	3.2	46
दुर्विनियोग, घाटा इत्यादि	3.3	46
व्यक्तिगत जमा/व्यक्तिगत लेजर लेखा	3.4	47
सहायता अनुदान	3.5	47
विभागीय वाणिज्यिक उपक्रम	3.6	47
निधि का सरकारी लेखे से बाहर अवस्थित होना	3.7	48
उपसंहार	3.8	48
अनुशंसाएँ	3.9	49

परिशिष्ठ

परिशिष्ठ		पृष्ठ सं.
परिशिष्ट -1.1 पार्ट ए	झारखण्ड राज्य का आँकड़ा	51
परिशिष्ट 1.1 पार्ट बी	सरकारी लेखे की संरचना एवं रूपरेखा	52
परिशिष्ट 1.1 पार्ट सी	वित्त लेखे का अभिन्यास	52
परिशिष्ट 1.2 पार्ट ए	राजकोषीय स्थिति के मूल्यांकन हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली	53
परिशिष्ट 1.2 पार्ट बी	(ii) राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम, 2007	54
परिशिष्ट 1.3	राज्य सरकार के वित्त पर कालबद्ध आँकड़े	55
परिशिष्ट 1.4 पार्ट ए	वर्ष 2010-11 के लिए प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार	58
परिशिष्ट 1.4 पार्ट बी	31 मार्च 2011 को झारखण्ड सरकार की संक्षिप्त वित्तीय स्थिति	62
परिशिष्ट 2.1	₹10 करोड़ से अधिक की बचत और कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक अनुदानों / विनियोग की विवरणी	64
परिशिष्ट 2.2	पिछले वर्ष के प्रावधानों से अधिक व्यय का विनियमन अपेक्षित	65
परिशिष्ट 2.3	मामले जहाँ अनुपूरक अनुदान (₹10 लाख या उससे अधिक), अनावश्यक साबित हुआ	66
परिशिष्ट 2.4	निधि का अत्यधिक/ अनावश्यक/ अपर्याप्त पुनर्विनियोजन	67
परिशिष्ट 2.5	वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण अभ्यर्पण की संवीक्षा का निष्कर्ष	68
परिशिष्ट 2.6	वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित राशि (प्रत्येक मामले में ₹ 50 लाख या अधिक)	77
परिशिष्ट 2.7	₹ एक करोड़ से ज्यादा की बचत, जो अभ्यर्पित नहीं की गई, की विवरणी	78
परिशिष्ट 2.8	30 और 31 मार्च 2011 को ₹ 10 करोड़ से अधिक अभ्यर्पित राशि के मामले	79
परिशिष्ट 2.9	वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के वेग	81
परिशिष्ट 3.1	31 मार्च 2011 को बकाया उपयोगिता प्रमाण पत्र	82
परिशिष्ट 3.2	दुर्विनियोग एवं घाटो के मामलों का विभागवार ब्यौरा	82
परिशिष्ट 4.1	प्रतिवेदन में प्रयुक्त व्याख्यान, गणना के आधार एवं शब्दावलियों की सूची	83